जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में सुरक्षा संबंधी व्यवाय

जम्मू एवं कश्मीर में गंगोट्री उपाखंड/विद्रोह को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को शांति एवं अमन बनाए रखने के लिए अधिक व्यवस्था करना पड़ता है। इसकी वजह से इसके राजनीतिक/सामाजिक अंतरिक्ष आर तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस समस्या का निराशारोध तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संसदीयों में सहयोग करने के उद्देश्य से जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक पूरक सुरक्षा संबंधी व्यवस्था प्रारंभ की गई जिसमें पुलिस (एस आर ई-पुलिस) तथा राहत एवं पुनर्वास (एस आर ई-आर एंड आर) पर लिए जाने वाले व्यवहार की प्रतिपूर्ति का प्रावधान था।

सुरक्षा संबंधी व्यवस्था प्रारंभ (पुलिस) के तहत रक्षादल, सामग्री एवं आपूर्ति के आवागमन, सुरक्षा बलों की सीमा चालियों के लिए किराया एवं किराए पर लिए गए आवास, विशेष पुलिस अतीतकारियों को प्रदान किए जाने वाले मानदेय, इंडिया रिजर्व बटलरियन के मद्देनजर, वैकल्पिक आवास के निर्माण, हवाई प्रभारी, पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य एवं कॅडरियों पर होने वाले व्यवहार ग्राह्य हैं।

चालू किल्ला मंच 2014-15 (20 जून, 2014 तक) के दौरान इस घटक के तहत राज्य सरकार को 149.25 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

सुरक्षा संबंधी व्यवस्था (राहत एवं पुनर्वास) प्रारंभ के तहत कश्मीरी प्रवासियों को भासिक नकड़ राहत, अनुपस्थित भूमिकाओं, उपयोगी हिस्से में मारे गए आम नागरिकों की विधवाओं को पैसा, उपयोग से प्रभावित आँखों को छापबूट, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी एवं उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज पर लिए जाने वाले व्यवहार आदि की प्रतिपूर्ति जम्मू एवं कश्मीर सरकार को की जा रही है।

चालू किल्ला मंच 2014-15 (20 जून, 2014 तक) के दौरान इस घटक के तहत राज्य सरकार को 64.08 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

वर्ष 1989 में एस आर ई प्रारंभ से भारत सरकार ने दिनांक 20/06/2014 तक जम्मू एवं कश्मीर सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यवस्था (पुलिस) के तहत 4596.82 करोड़ रु. तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्था (राहत एवं पुनर्वास) के तहत 2376.53 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्तिनिर्मूल्यता की है।